



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

पत्र सं. 2090 / व्यव.अनु. / 2013-14

दिनांक 29-12-14

सेवा में,

मै० एम. एस. एस. इन्फ्राकॉम कन्सोर्शियम
पता-G-15, चौधरी मोड़,
गाजियाबाद।

विषय: कर्पूरीपुरम योजना स्थित व्यवसायिक भूखण्ड (मिक्स लैण्ड यूज) (क्षेत्रफल 12,620.00 वर्ग मी०) के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 18.12.2014 को कर्पूरीपुरम योजना स्थित व्यवसायिक भूखण्ड (मिक्स लैण्ड यूज) (क्षेत्रफल 12,620.00 वर्ग मी०) को खोली गई प्राइस बिड में प्राप्त आपकी सर्वोच्च दर ₹ 34,400.00 प्रति वर्ग मी० उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 19.12.2014 के द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। जिसके अनुसार भूखण्ड का कुल मूल्य ₹ 43,41,28,000.00 (रुपये तितालीस करोड़ इक्तालीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) होता है। कृपया ब्रोशर की शर्तों के अनुसार कुल बिड मूल्य ₹ 43,41,28,000.00 की 25 प्रतिशत धनराशि ₹ 10,85,32,000.00 के सापेक्ष धरोहर राशि ₹ 4,16,46,000.00 को समायोजित करते हुये इसकी शेष राशि ₹ 6,68,86,000.00 30 दिन के भीतर जमा कराना सुनिश्चित करें। कुल बिड मूल्य का 12 प्रतिशत लीज रेंट व फ्री होल्ड चार्ज ₹ 5,20,95,360.00 भी एक माह के अन्दर जमा कराकर रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट नियमानुसार कराना होगा। प्राधिकरण बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुसार 2000.00 वर्ग मीटर से अधिक बड़े भूखण्डों को इन्फ्रास्ट्रक्चर सरचार्ज से मुक्त रखे जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर वर्तमान में इन्फ्रास्ट्रक्चर देय नहीं होगा, किन्तु यदि शासन द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर सरचार्ज अतिरिक्त लिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं, तो भूखण्ड मूल्य पर 10 प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रक्चर अधिभार अतिरिक्त देय होगा। अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि ₹ 32,55,96,000.00 (रुपये बत्तीस करोड़ पचपन लाख छियानवे हजार मात्र) जमा कराये जाने हेतु विस्तृत भुगतान विवरण अलग से प्रेषित किया जायेगा। शेष नियम व शर्तें ब्रोशर के अनुसार होगी।

भवदीय,


(ज्ञानेन्द्र वर्मा)

संयुक्त सचिव (व्यव०)



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL


Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

DEVELOPMENT

LOCK

Certificate No.	: IN-UP01123079003775N
Certificate Issued Date	: 02-Jun-2015 03:29 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ upshcil01/ GHAZIABAD/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHCIL0101351115719526N
Purchased by	: MSS INFRACON PRIVATE LIMITED
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: COMMERCIAL PLOT NO. ML-1 (MIXED LAND USE) KARPURIPURAM GHAZIABAD
Consideration Price (Rs.)	: 48,62,23,360 (Forty Eight Crore Sixty Two Lakh Twenty Three Thousand Three Hundred And Sixty only)
First Party	: GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
Second Party	: MSS INFRACON PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Paid By	: MSS INFRACON PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 3,40,35,000 (Three Crore Forty Lakh Thirty Five Thousand only)



Verified By
(Suresh Chandra Rajput)
Registration Clerk
Sadar, Ind. Ghaziabad

[Signature]

LOCKED BY
R.O. and
Ghaziabad

-----Please write or type below this line-----

[Signature]
हरेन्द्र कुमार मिश्रा
संयुक्त सचिव
गाझियाबाद

XIV 0002751022

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.ahcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 148128


स्थाप्य

-STAM- 340,35000-
1000=
3,40,36000=

GAZIABAD



हरेन्द्र कुमार मिश्रा
संयुक्त सचिव
गाजियाबाद



Shylo

.....

विद्यार्थी का नाम व पूरा पता.....

1000

१२२०-२०२१-२०२२ व-५५ के. ए. छात्रों के नामों का विवरण

प्रभुदयाल शर्मा स्थाप्य विक्रेत

लाईसेन्स नंम्बर-337,

जाईसैन्स की अवधि 31 मार्च 2016

तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

राजवाहा
राजवाहा





हरेन्द्र कुमार मिश्रा
संयुक्त सचिव
गाजियाबाद

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

AGREEMENT TO SALE

This agreement to sale is executed on 02 month 06 year 2015, between Ghaziabad Development Authority a body created under provision of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 hereinafter called Authority (Which expression shall unless the context does not admit includes its successors and assignees) through its Joint Secretary/ AUTHORISED SIGNATORY –

..... FIRST PARTY

AND

M/s. MSS Infracon Pvt. Ltd., registered office at 15 G.T. Road, Choudhary More, Ghaziabad through its Director Sh. Ankit Gupta S/o Sh. Praveen Kumar Gupta, R/o G-239, Patel Nagar-III, Ghaziabad which expression shall unless the context does not admit includes his heirs, successors, executors, administrators and permitted assignees of the other part –

..... SECOND PARTY.

हरेन्द्र कुमार मिश्रा
संयुक्त सचिव
गाजियाबाद



विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

486,223,360.00

486,223,360.00 10,000.00

50 10,050.00 2,500

प्रतिफल मालियत अग्रिम धनराशि फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री अर्कित गुप्ता प्रतिनिधि एम एस एस इन्फ्राकोन प्रा0 लि0

पुत्र श्री प्रवीन कुमार गुप्ता

व्यवसाय व्यापार/नौकरी/अन्य

निवासी स्थायी जी-239 पटेल नगर-3 गा0 बाद

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/6/2015 समय 4:13PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उपनिबन्धक द्वितीय

गाजियाबाद

15/6/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

क्रेता

श्री अशोक द्विवेदी
प्रतिनिधि हरेन्द्र कुमार मिश्र

पुत्र श्री

पुत्र/पत्नी श्री पेशा व्यापार/नौकरी/अन्य

[Signature]



श्री अर्कित गुप्ता
प्रतिनिधि एम एस एस इन्फ्राकोन प्रा0 लि0
पुत्र श्री प्रवीन कुमार गुप्ता
पेशा व्यापार/नौकरी/अन्य
निवासी जी-239 पटेल नगर-3 गा0 बाद

[Signature]



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री अभिषेक जैन

पुत्र श्री के0 सी0 जैन

पेशा व्यापार/नौकरी/अन्य

निवासी 15ख सराय किरौडी खुर्जा जिला बुलन्दशहर

व श्री सचिन कुमार

पुत्र श्री उदयरज सिंह

पेशा व्यापार/नौकरी/अ

निवासी नम्रवन नं0 238 पदार्थपुर तह धामपुर जिला बिजनौर

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उपनिबन्धक द्वितीय

गाजियाबाद

15/6/2015

That the First Party advertised and published a Allotment of Group Housing and Non-Residential Plots through Two-Bid System in various scheme of Ghaziabad Development Authority for the sale of Commercial Plot (Mix Land Use) situated in Karpuripuram Yojna measuring area 12620 Sq.Mtrs. boundaries of which is mentioned in the end of this deed & site plan is attached with this deed and a building constructed thereon will be permissible as per building byelaws.

That Second Party participated in the auction held on 18/12/14 and second party was the highest price bid for Rs. 34,400/- per Sq.mt. for the abovesaid area which is accepted by the Vice Chairman on 19/12/14 and the total premium of the plot is 43,41,28,000/- (Rupees Forty Three Crore Forty One Lac Twenty Eight Thousand only) and 12% Lease Rent & Free Hold Charge i.e. Rs. 5,20,95,360/- (Five Crore Twenty Lac Ninety Five Thousand Three Hundred Sixty Only).

The First Party issued Allotment letter bearing no. 2090/Comm. Dept/2013-14 dated 29/12/14, in respect of the aforesaid Free hold Commercial Plot (Mix Land Use) situated in Karpuripuram Yojna measuring area 12620 Sq.Mtrs.

The Second Party paid 25% premium of Rs.10,85,32,000/- of the total premium within 30 days as per the condition of the allotment letter dated 29/12/14. On the request dated 14/5/15 of the second party as per the board decision dated 30/1/14, as per the approval Vice Chairman dated 18/5/15 the second party permit the one year for the moratorium and the balance amount after capitalized the balance amount with interest 16.75% annual which comes to Rs.38,01,33,330/- the said amount was demanded in 10 half yearly installment alongwith interest @ 16.75% p.a. from 29/6/16 to 29/12/20.

The Second Party has paid 25% premium of land Rs. 10,85,32,000/- (Rupees Ten Crore Eighty Five Lac Thirty Two Thousand only) and 12% Lease Rent & Free Hold Charge Rs. 5,20,95,360/- (Five Crore Twenty Lac Ninety Five Thousand Three Hundred Sixty Only). The First Party acknowledge the receipt of the above said amount through this deed.

Now both the parties agree as under :-

- 1, The First Party declares that the Free Hold Commercial Plot (Mix Land Use) situated in Karpuripuram Yojna measuring area 12620 Sq.Mtrs. is

हरेन्द्र कुमार मिश्रा
संयुक्ता सचिव
गाजियाबाद

विक्रेता

Registration No.: 7691

Year : 2,015

Book No. : 1

0101 अशोक द्विवेदी प्रतिनिधि हरेन्द्र कुमार मिश्र

जी० डी०ए०


व्यापार/नौकरी/अन्य



free from all charges, liens and encumbrances and transferred to the Second Party through this deed

2. The Second Party agree to pay the balance premium 75% balance amount i.e. Rs.38,01,33,330/- (Rupees Thirty Eight Crore One Thousand Thirty Three Thousand Three Hundred Thirty only) demanded in 10 half yearly installment alongwith interest @ 16.75% p.a. from 29/6/16 to 29/12/20. If the installment not paid within the time, the second party shall be liable for the payment of the interest @ 19.75% p.a. as per actual delay in number of days.
3. The peaceful vacant physical possession of the plot in question is given through this deed.
4. If the compensation of the land in question is increased by the decision of the court of law, the second party or its allottee agree to pay the proportionate amount of compensation to the first party.
5. The second party has paid Stamp duty on the total premium of land including lease rent and free hold charges as per the rules.
6. The Second Party shall complete the construction of the building in accordance with the plan approved by first party as per condition of agreement and as per minimum specification prescribed by the First Party within the 5 years from the date of agreement which shall be the essence of the contract, if the second party fail to complete the construction within the prescribed period the agreement will be cancelled and money deposite by the second party will be refunded as mentioned above.
7. The Plot and building thereon shall not be used for any purpose other than specified in the agreement/sale deed executed by the First Party. Major use prescribed by the First Party is Commercial Plot (Mixed Land Use).
8. The Second party or his allottee shall not be entitled to sell, transfer, assign or otherwise part with possession of the plot of any part thereof before or after the erection of the building without the previous permission in writing of the First Party. In the event permission is given by the first party for the above said purpose, first party have right to

हरेन्द्र कृ. मिश्रा
संयुक्त सचिव
गाजियाबाद



क्रेता

Registration No. : 7691

Year : 2,015

Book No. : 1

0201 अर्कित गुप्ता प्रतिनिधि एम एस एस इन्फ्राकोन प्रा० लि०
प्रवीन कुमार गुप्ता
जी-239 पटेल नगर-3 गा० बाद
व्यापार/नौकरी/अन्य



दि २०-१२-१५

मुद्रा
प्रमाणित

imposed such terms and conditions as may be deemed fit as necessary in that behalf.

9. The Second Party or his allottee shall be liable to pay rates, taxes, charges, and assessment of every description in respect of apportioned plot/building whether assessed, charged or imposed on that plot or on the building construction.
10. Any money due to the GDA from the second party or his allottee of the aforesaid property, shall be recoverable as arrears of land revenue from the second party or his nominee.
11. If it is disclosed that the agreement / sale deed of the plot/property has been obtained by suppression of any fact or mis-statement or misrepresentation or fraud or if there is any breach of the conditions of the sale deed, the sale deed will be cancelled as also with the possession of the property and the building thereon will be taken over by the authority, and the second party will not be entitled to any compensation whatsoever nor for refund of any premium paid by him.
12. Any unauthorized construction by the second party or his allottee, is liable to be demolished in accordance with the rules/laws in force.
13. The water supply, sewerage, Drainage and Electricity lines as per specification and standard shall be provided upto the boundary of the property by GDA. The internal work shall be completed by the second party.
14. The sale deed shall be executed in the proforma prescribed by the Authority. The first party shall execute the sale deed within three months from the payment of the last installment i.e. 31/8/14 or extended period as mentioned above.
15. That the first party have right to cancellation, termination, forfeiture or re-entry on aforesaid grounds after the first party has service on the second party, a notice in writing and the violation has not been corrected by the second party within reasonable time.

हरेन्द्र क
संयुक्त
गाजियाबाद गाजियाबाद





Shree



हरेन्द्र कुमार मिश्रा
समुदाय सचिव
गांधीनगर
बल्लभपुर

HOUSES

12.0M WIDE ROAD

OTHERS LAND

12.0M WIDE ROAD


HOUSES

12.0M WIDE ROAD

OTHERS LAND

HIGH SCHOOL

AREA OF THE LAND 12620.00 SQM



४२




सर्वोत्पन्न
कृषि विभाग
उत्तर प्रदेश


16. Details of Commercial Plot (Mix Land Use) situated in Karpuripuram Yojna measuring area 12620 Sq.Mtrs. are boundaries of which are given below:

NORTH :
SOUTH :
EAST :
WEST :

संलग्न स्थलान्तर के अनुसार।

In witness the parties name above have signed this AGREEMENT TO SALE on 15 the day of 6-2015 At Ghaziabad, U.P.


Witness No. 1
Abhishek Jain
810 St. K.C. Jain
Age: 39 Yrs.
Business
15th, Sarai Kisoridi
Khurja-203131
Distt. Bulandshahr.


Sachin Kumar

Witness No. 2
Sachin Kumar
810 Udayraj Singh
Age:
Generece
H.No. 258
Padarathipur
Teh. Dhampur
Distt. Prigmore

Ghaziabad Development Authority


(First Party)
H. K. Mishra
संयुक्त सचिव
गाजियाबाद, गाजियाबाद

For M/s. MSS Infracon Pvt. Ltd.

(Second Party)


आज दिनांक 15/06/2015 को


वही सं. 1 जिल्द सं. 9848

पृष्ठ सं. 399 से 414 पर कमांक 7691

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

राष्ट्रीय सामुदायिक
विकास आयोग
राजधानी, भारत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


उपनिबन्धक द्वितीय
गाजियाबाद
15/6/2015



मलकास एन एम-एन क २२३७८

11011



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 038042

PRPPED BY ME

ASHOK DIWEDI

शुद्धि मिले



CHECKED BY ME

O.S.



Shyama

32

07/8/15

क्रम सं० _____ दिनांक _____
स्टाम्प व्यवस्थापन का प्रयोजन _____
स्टाम्प प्रेषण का नाम व पता _____
स्टाम्प की प्रकृति _____

20th 2nd 30th 5-4/10/15
पुनः @ चोपरा नर

असोक कुमार स्टाम्प विक्रेता
लाईसेन्स नं०-223
लाईसेन्स की अवधि 31-03-2016
तहसील कम्पाउण्ड, राजियाबाई

Handwritten signature





गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

शुद्धि विलेख

यह शुद्धि पत्र आज दिनांक १०/८/२०१५ को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास मार्ग, हापुड़ रोड, गाजियाबाद जो कि राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-११ सन् १९७३ पुर्ननिधायन उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-३० सन् १९७४ की धारा-४ के अधीन गठित एक निकाय है, के संयुक्त सचिव/अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से (जिसे इस विलेख में आगे प्रथम पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया उसके प्रशासकों/अधिशसकों विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा) ।

..... प्रथम पक्ष



डा० हरेन्द्र कुमार मिश्र
संयुक्त सचिव
जी० डी० ए०

तितम्मा

100.00	50	150.00	2,500
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री अंकित गुप्ता प्रतिनिधि एम एस एस इन्फ्राकॉन प्रा0लि0
पुत्र श्री प्रवीन कुमार गुप्ता
व्यवसाय व्यापार/नौकरी/अन्य
निवासी स्थायी जी 239 पटेल नगर थर्ड गेट गा0बाद
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/8/2015 समय 3:57PM
वजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 पी0 मिश्र
उपनिबन्धक द्वितीय
गाजियाबाद
31/8/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
प्रथम पक्ष

श्री अशोक द्विवेदी
प्रतिनिधि हरेन्द्र कुमार मिश्र
पुत्र श्री
पुत्र/पत्नी श्री पेशा व्यापार/नौकरी/अन्य



द्वितीय पक्ष

श्री अंकित गुप्ता
प्रतिनिधि एम एस एस इन्फ्राकॉन प्रा0लि0
पुत्र श्री प्रवीन कुमार गुप्ता
पेशा व्यापार/नौकरी/अन्य
निवासी जी 239 पटेल नगर थर्ड गेट गा0बाद

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री सधिन कुमार
पुत्र श्री उदयरज सिंह
पेशा व्यापार/नौकरी/अन्य
निवासी ग्राम पदारथपुर बिजनौर
व श्री अभिषेक जैन
पुत्र श्री के सी जैन
पेशा व्यापार/नौकरी/अ
निवासी नं5 ख सराय डिरोडी खुर्जा
ने की।



प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

उनि0 द्वितीय
कम्प्यूटर संचालक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 पी0 मिश्र
उपनिबन्धक द्वितीय
गाजियाबाद
31/8/2015

एवं

मेसर्स एम एस एस इन्फाकॉन प्रा०लि०, पंजीकृत कार्यालय 15 जी०टी० रोड, चौधरी मोड़, गाजियाबाद द्वारा—डायरेक्टर श्री अंकित गुप्ता पुत्र श्री प्रवीन कुमार गुप्ता निवासी जी-239, पटेलनगर—थर्ड, गाजियाबाद (जिसे कि इस शुद्धि पत्र में द्वितीय पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक कि उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो, क्रेता एवं उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा) द्वितीय पक्ष के हित में किया जायेगा ।

..... द्वितीय पक्ष

यह कि व्यावसायिक भूखण्ड (मिश्रित उपयोग) कर्पूरीपुरम, गाजियाबाद क्षेत्रफल 12620 वर्ग मीटर द्वितीय पक्ष को आवंटित है तथा आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड का अनुबन्ध विलेख दिनांक 2/6/15 को निष्पादित कराकर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, गाजियाबाद में बही नं०-1, जिल्द नं०-9848 के पृष्ठ



श्री अंकित कुमार निश
सहायक निमित्त
जी० टी० ए०

प्रथम पक्ष

Registration No.: 11011

Year: 2,015

Book No. : 1

0101 अशोक द्विवेदी प्रतिनिधि हरेन्द्र कुमार मिश्र



जी डी ए

व्यापार/नौकरी/अन्य



सं०-399 से 414 में नम्बर 7691 पर दिनांक 15/6/2015 को पंजीकृत कराया था ।

यह कि द्वितीय पक्ष के पक्ष में निष्पादित उपरोक्त अनुबन्ध विलेख दिनांक 15/6/15 में लिपिकीय त्रुटिवश विलेख के चतुर्थ पृष्ठ के पैरा नं०-14 की तीसरी लाईन में अन्तिम भुगतान की तिथि 31/8/14 अंकित हो गयी जबकि उक्त के स्थान पर 29/12/2020 अंकित किया जाना था ।

अतः उक्त त्रुटि का संज्ञान होने पर प्रथम व द्वितीय पक्ष निष्पादित अनुबन्ध विलेख दिनांक 15/6/15 में उक्त त्रुटि को संशोधित कराने के लिए सहमत हुए हैं ।

अतः इस शुद्धि विलेख के माध्यम से निष्पादित अनुबन्ध विलेख दिनांक 15/6/15 के चतुर्थ पृष्ठ के पैरा नं०-14 की तीसरी लाईन में अन्तिम भुगतान की तिथि 31/8/14 को काटा जाकर उक्त के स्थान पर 29/12/2020 लिखा व पढ़ा जाये ।



का रजिस्ट्रार ऑफ़
मुद्रा नं०
का ३३३३०

द्वितीय पक्ष

Salt



Registration No. : 11011

Year : 2,015

1


0201 अंकित गुप्ता प्रतिनिधि एम एस एस इन्फ्राकॉन प्रा0लि0

प्रवीन कुमार गुप्ता

जी 239 घटेल नगर थर्ड गा0बाद

व्यापार/नौकरी/अन्य

Gupta



अतः इस शुद्धि पत्र के माध्यम से निष्पादित अनुबन्ध विलेख दिनांक 15/6/15 में हुई त्रुटि का परिमार्जन किया जा रहा है तथा यह शुद्धि पत्र निष्पादित किया जा रहा है कि मूल विलेख में अंकित तथ्य उपरोक्तानुसार संशोधित कर लिखे व पढ़े जायें । यह विलेख सनद रहे और समय पर काम आवे । उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त तथ्य पूर्व की भाँति रहेंगे ।

यह शुद्धि पत्र प्रथम व द्वितीय पक्ष ने स्वचित्त होकर पढ़कर व समझकर गवाहन की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया है ।

गवाह नं०-1

Sachin Kumar ✓
साचिन कुमार 8/03/2015
वाँ 44124444 लिखा - किशोर्
(3050)



(प्रथम पक्ष)

साचिन कुमार मिश्रा
संयुक्त संस्थान
मो 980 980

गवाह नं०-2

जोषी
आमिनेक जे. श. डी. सी. जे. न.
158, सराचाईसी
सु. 231-203131



(द्वितीय पक्ष)



आज दिनांक 31/08/2015 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 10151
पृष्ठ सं. 181 से 190 पर क्रमांक 11011
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 पी0 मिश्र
उपनिबन्धक द्वितीय
गाजियाबाद
31/8/2015

